न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/24/2023	2023/283	05.06.2023	16.01.2025

01– झडमल पुत्र ताज खां जाति मेव निवासी ग्राम रघुनाथगढ तहसील नौगांवा जिला अलवर राज0।

– अपीलार्थी

बनाम

01– भूरू पुत्र सेवला जाति मेघवाल निवासी ग्राम रघुनाथगढ तहसील नौगांवा जिला अलवर राज0।

–असल रेस्पो0

02– सम्मी पुत्र साहब खां जाति मेव निवासी ग्राम रघुनाथगढ तहसील नौगांवा जिला अलवर राज0।

03– तहसीलदार नौगांवा, अलवर राज0।

– तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध तहसीलदार नौगांवा आदेश दिनांक 02.12.2022 प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 183 (बी) राज. काश्त. अधिनियम प्रकरण संख्या 05/2022

उपस्थितः–

01–श्री जितेश गागल –वकील अपी0

02–श्री सुनील कुमार –वकील असल रेस्पो0

03–श्री प्रकाश चन्द सागर –वकील तर रेस्पो0 सं0 2

::– निर्णय ::–

अपी0 द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नौगांवा के निर्णय दिनांक 02.12.2022 प्रकरण संख्या 05/2022 ग्राम रघुनाथगढ, तहसील नौगांवा जिला अलवर के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलाएं दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपी0 ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय दिनांक 02–12–2022 को मिन अपीलांट के खिलाफ इकतरफा में सादिर फरमाया है, जिसकी बाबत अपीलांट को कोई जानकारी नहीं हो सकी और जिसका सर्वप्रथम इल्म दिनांक 17–05–2023 को जब मौके पर कब्जा दिलाने की कार्यवाही की गई, हुई। जिस पर अपीलांट ने जानकारी हांसिल करके दिनांक 18–05–2023 को नकल प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर दिनांक 19–05–2023 को नकल प्राप्त होने पर बाद कानूनी सलाह आज यह अपील बिना किसी देरी के पेश है, जो जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद पेश है एवं दिनांक 02–12–2022 से दिनांक 17–05–2023 तक का समय जानकारी के अभाव में व उसके बाद से आज तक का समय नकल प्राप्त करने व कानूनी सलाह आदि में व्यस्त होने के कारण धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत कन्डोन किये जाने योग्य है। जिसके लिए अलग से प्रार्थना पत्र पेश है। अधिनस्थ न्यायालय से दिनांक 02–12–2022 की पेशी के लिए नोटिस मिन अपीलांट को प्राप्त हुआ था। जिस पर मिन अपीलांट ने दिनांक 02–12–2022 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष हाजिर होकर एक प्रार्थना पत्र पेश किया और जिसमें दस्तावेजात की नकल प्राप्त करने व जवाब के लिए एक मौका देने के लिए निवेदन किया गया था। जिस पर साहब तहसीलदार ने जबानी तौर पर यह कहा कि आप जवाब बाद में पेश कर देना। जिस पर मिन अपीलांट वापिस चला गया। नकल प्राप्त करने पर यह पता चला है कि साहब तहसीलदार नौगांवा ने मिन अपीलांट के चले जाने के पश्चात दिनांक 02–12–2022 को ही उक्त प्रकरण का निर्णय मिन अपीलांट को बिना सुने हुए इकतरफा मे कर दिया एवं न्यायालय की आदेशिका में मिन अपीलांट के नामा का फर्जी निशानी अंगूठा पता नहीं किससे लगवाकर उस पर निशानी अंगूठा झडमल लिख दिया, जबकि मिन अपीलांट ने न्यायालय की किसी भी आदेशिका पर अपना निशानी अंगूठा नहीं लगाया और ना ही मिन अपीलांट के समक्ष अधिनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया। इस प्रकार निर्णय अधिनस्थ न्ययालय दिनांक 02–12–2022 निरस्त फरमाये जाने योग्य है।

अति. जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)

अधिनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय पारित करने से पूर्व ना तो असल रेस्पोडेन्ट का बयान रिकोर्ड किया और ना ही किसी राजस्व रिकोर्ड का अवलोकन किया, बल्कि महज पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपना निर्णय सादिर फरमाया है जो गलत है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय सादिर फरमाने से पूर्व मिन अपीलांट को ना तो जवाबदेही करने का मौका सादिर फरमाया और ना ही मिन अपीलांट का बयान रिकोर्ड किया और ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका प्रदान किया। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय न्यायिक आदेश व स्पीकिंग आदेश की तारीफ में नहीं आता है और निरस्त फरमाये जाने योग्य है। वास्तव में सही तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 43 का गत खसरा नम्बर 15 था, जो गत खसरा नम्बर 15 का रकबा 37 बीघा 18 बिस्वा था और जिसकी किस्म गैर मुम० बेहड जमाबंदी सम्वत 2031 में दर्ज है एवं कानूनन गैर मुम० बेहड की भूमि का आवंटन किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता। किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने राजस्व अधिकारियों से मिल्लत करते हुए उपरोक्त गत खसरा नम्बर 15 मिन रकबा 5 बीघा का आवंटन अपने नाम गलत तौर पर करा लिया और ततपश्चात राजस्व अभिलेख में अपना नाम गलत तौर पर बतौर खातेदार के दर्ज करा लिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कभी भी उपरोक्त आवंटन शुदा भूमि का कब्जा नहीं दिया गया और ना कभी उसका मौके पर कब्जा रहा। बल्कि विवादित आराजी के करीब 1 बीघा 5 बिस्वा आराजी पर मिन अपीलांट का कब्जा गत करीब 40 साल से चला आ रहा है एवं खसरा परिवर्तनशील व अन्य राजस्व अभिलेख में भी मिन अपीलांट का नाम दर्ज है। खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2042 में भी मिन अपीलांट का नाम 1 बीघा 5 बिस्वा पर दर्ज है एवं मिन अपीलांट के खिलाफ समय–समय पर धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत भी कार्यवाही की गई है और जिसमें मिन अपीलांट ने पेनल्टी भी समय–समय पर अदा की है। इस प्रकार मिन अपीलांट ने किसी अनूसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन पर ना तो कोई अतिक्रमण किया है और ना ही मिन अपीलांट का कब्जा किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी की भूमि पर होना साबित पाया जाता है। बल्कि मिन अपीलांट का कब्जा सम्वत् 2042 से सिवायचक भूमि पर बतौर अतिक्रमणी के चला आ रहा है, जो राजस्थान सरकार व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के दिशा निर्देषों के अनुसार नियमन किये जाने योग्य है, जो तथ्य काबिल गौर श्रीमान है। मिन अपीलांट एक भूमिहीन काश्तकार पेशा व्यक्ति है और यदि मिन अपीलांट को अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की आड में बेदखल कर दिया गया तो मिन अपीलांट को नापूर्ति होने वाला नुकसान होगा तथा अपीलांट तबाह व बरबाद हो जावेगा एवं अपीलांट अपने कानूनी व वैधानिक अधिकारों से वंचित हो जावेगा। जिस कारण भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाये जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर वकील अपी0 द्वारा निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अधिनस्थ न्यायालय साहब तहसीलदार नौगांवा दिनांक 02–12–2022 निरस्त फरमाया जावे एवं प्रार्थना पत्र धारा 183 (बी) राज० काश्तकारी अधिनियम खारिज फरमाये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावे।

विद्वान वकील रेस्पो0/प्रत्यर्थी द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा जानबूझकर अपील अन्दर अवधि पेश नहीं की गई है। जिस कारण अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है। मातहत न्यायालय का आदेश किसी भी प्रकार से निरस्त फरमाये जाने योग्य नही हैं। अपीलांट को जवाब का पर्याप्त मौका दिये जाने के बावजूद अपीलांट ने कोई जवाब पेश नही किया गया। तहसीलदार साहब नौगांवा द्वारा मौका पर्चा रिपोर्ट तलब कर व वस्तुस्थिति को समझते हुये व जानते हुये दिनांक 02.12.2022 को अपीलांट की उपस्थिति मे निर्णय सुनाया गया। तहत अदालत की आदेशिका पर अपीलांट ने निर्णय को सही मानते हुये अपनी निशानी अंगूठा की। अपीलांट द्वारा यह कहना गलत है कि तहसीलदार नौगांवा द्वारा एकतरफा में अपीलांट को बिना सुने निर्णय सुनाया हो। तहत अदालत द्वारा राजस्व रिकार्ड का अवलोकन कर व मौका पर्चा रिपोर्ट तलब कर अपीलांट को जवाबदेही का पर्याप्त अवसर देते हुये अपीलांट की मौजूदगी मे खुली अदालत में कानूनन सम्मत रूप से निर्णय पारित किया गया है। आराजी हाल खसरा नम्बर 43 रकबा 1.26 हैक्टर का गत खसरा नम्बर 15 था जिसका कानून सम्मत रूप मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रिकार्डेड खातेदार है। विवादित भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रिकार्डेड खातेदार है। और मौके पर कब्जा काश्त रहा हैं चूंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 गरीब अनुसूचित जाति का व्यक्ति हैं। अपीलांट ने अन्य लोगो के साथ मिलकर विवादित भूमि पर अतिक्रमण कर जबरन कब्जा कर लिया। कब्जा हटाने की कहने पर अपीलांट ने कब्जा नही हटाया। जैसा कि मौका पर्चा रिपोर्ट हल्का पटवारी से साबित हैं।

अति. जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

अपीलांट द्वारा कोई पैनल्टी सरकार को अदा नहीं की हैं। अपीलांट ने विवादित भूमि से कब्जा नही छोडा तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा तहत अदालत के समक्ष धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। जिसमे तहत अदालत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये। लेकिन अपीलांट ने कोई साक्ष्य पेश नही की। तहत अदालत द्वारा अपीलांट की मौजूदगी में बहक रेसपोडेन्ट संख्या 1 निर्णय दिनांक 02.12.2022 पारित किया गया है। जिससे अपीलांट पाबंद हैं। अपीलांट द्वारा रेसपोडेन्ट को तंग परेशान करने की व आर्थिक क्षति पहुंचाने को मंशा से अपील पेश की गई है। जिस कारण अपील हाजा खारिज किये जाने योग्य है। विवादित भूमि से अपीलांट का कोई वास्ता नही हैं। अतः निवेदन किया गया कि अपील अपीलांट खारिज किये जाने के आदेश सादिर फरमाने की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.12.2022 के विरूद्व दिनांक 02.06.2023 को पेश की गयी है जो 06 माह के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रुख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित आराजी मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का रघुनाथगढ़ आराजी खसरा नंबर 43 रकबा 1.26 हैक्टेयर वाके ग्राम रघुनाथगढ तहसील नौंगावां राजस्व रिकॉर्ड हाल जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 321 खसरा नंबर 43 रकबा 1.26 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूरू पुत्र सेवला जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अपी0 झडमल पुत्र ताज खां जाति मेव नि0 रघुनाथगढ तह0 नौंगावां का उक्त आराजी पर अवैध रूप से कब्जा किया होना साबित होता है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183–बी का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। रेस्पो0 अनुसूचित जाति वर्ग से है। एस.सी/एस.टी. जाति वर्ग की भूमि पर स्वर्ण जाति का कब्जा होने पर धारा 183–बी का स्पष्ट रूप से उल्लंघन साबित होता है। एस.सी/एस.टी. श्रेणी की भूमि को किसी भी गैर एस.सी/एस.टी. श्रेणी के व्यक्ति को किसी भी प्रकार स्थानान्तरित नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नौंगावां, द्वारा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर धारा 183 (बी) राज0 काश्त0 अधि0 निर्णय किया, जो उचित है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नौंगावां का निर्णय दिनांक 02.12.2022 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)